उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-198/2017/1631/92-2-2017-80जॉच/2017

लखनऊ :: दिनांक:: 06 नवम्बर, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतकबीरनगर के कार्यकाल में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजनान्तर्गत चयनित वर्ष 2016-17 के निर्माण कार्यो की निविदाओं में बरती गयी अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अभय शंकर सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-संतकबीर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व सी0एस0 आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच की कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-198/2017/1631(1)/92-2-2017 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-जी-366-367/ग्रा0अ0वि0/डा0लो0सेल/संतकबीरनगर-169/16-17,दि0 24-08-17, पत्र सं0-जी-391/ग्रा0अ0वि0/डा0लो0सेल/संतकबीरनगर-170/16-17, दि0 24-08-2017 पत्र सं0-जी-390/ग्रा0अ0वि0/डा0लो0सेल/संतकबीरनगर-172/16-17 दि0 24-08-2017 एवं पत्र सं0-475/ग्रा0अ0वि0/नियो-जांच/सीएम-संतकबीरनगर/17-18 दिनांक 31-08-2017 के क्रम में द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या की प्रति इस आशय से प्रेषित कि श्री अभय शंकर सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता (से0नि0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बस्ती के विरूद्व आरोप पत्र गठित कर 03 दिन में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर ।

3- श्री अभय शंकर सिंह, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-संतकबीरनगर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवध नारायण )

अनुसचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in